1

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०–पि०व०/छात्रवृत्ति–55–01/2010– 07 पटना, दिनांक– 25/02/17

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष– 2016 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा को रू 10,000/–(रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्तिका देने हेतु कुल रू 4428.80 लाख (रू0 चौवालीस करोड़ अट्ठाईस लाख अस्सी हजार) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः–स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2016 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा को रू 10,000/–(रूपये दस हजार) मात्र की दर से वृत्तिका के रूप में देने हेतु बजट उपबंधित कुल रू 4428.80 लाख (रू0 चौवालीस करोड़ अट्ठाईस लाख अस्सी हजार) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्यय व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0101–शिक्षा के कूट संख्या–3401 छात्रवृत्ति/वजीफा, राज्य योजना स्कीम कोड–BCW-5461 विपत्र कोड–P2225032770101" के अधीन कुल बजट प्रावधान रू 4428.80 लाख (रू0 चौवालीस करोड़ अट्ठाईस लाख अस्सी हजार) मात्र से विकलनीय होगा।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगें एवं इस योजना के नियंत्री पदधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे।

4– साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवन करेंगें कि निर्धारित मापदंड के अंतर्गत आनेवाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को ही मेधावृत्ति योजना का लाभ दिया जाय।

5– यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2016 में दसवीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता के आधार पर संबंधित छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र/छात्रा, जो वर्ष 2016 में मैट्रिक (दसवीं) की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर आवश्यक वांछित प्रमाण–पत्रों यथा, जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, आधार–संख्या,एवं बैंक अकांउट की छायाप्रति की आवश्यक जाँचोपरांत उचित पहचान कर एकमुश्त राशि रू 10,000/–(रूपये दस हजार) मात्र का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में हस्तानांतरित करना सुनिश्चित करेंगे।

7– जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी/भुगतान की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार, पटना को विहित प्रपत्र FORM-BTC-42(A)उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे साथ ही अव्यवहृत अवशेष राशि को वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पण करना सुनिश्चित करेंगे।

PTO

8– राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगें और साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित मापदंड को पूरा करनेवाले छात्र/छात्राओं को ही मेधावृत्ति का लाभ दिया गया हैं ।

9– प्रस्ताव में माननीय उपमुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री का सहमति प्राप्त है।

10– इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अनु०– **यथोपरि।**

25.2.17
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति–55–01/2010– 07 पटना, दिनांक– 25/02/17

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना/सभी उप विकास आयुक्त/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.2.17
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति–55–01/2010– 07 पटना दिनांक– 25/02/17

प्रतिलिपि–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.2.17
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति–55–01/2010– 07 पटना दिनांक– 25/02/17

प्रतिलिपि–माननीय उपमुख्यमंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25.2.17
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/छात्रवृत्ति–55–01/2010– 07 पटना दिनांक– 25/02/17

प्रतिलिपि–श्री विजय कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट **http://bcebcwelfare.bih.nic.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25.2.17
सरकार के सचिव।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त वर्ष 2016 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यन्त पिछड़े वर्गों के छात्रों की जिला बार सूची एवं स्वीकृत राशि की विवरणीः–

प्रमण्डल का नाम	क्र0	जिला का नाम	रौल कोड	छात्रों की संख्या	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
पूर्णियाँ	1	पूर्णियाँ	11001	767	7670000
	2	अररिया	12001	1149	11490000
	3	किशनगंज	13001	284	2840000
	4	कटिहार	14001	1059	10590000
मुंगेर	5	मुंगेर	21001	1255	12550000
	6	जमुई	22001	568	5680000
	7	लखीसराय	23001	973	9730000
	8	शेखपुरा	24001	465	4650000
	9	खगड़िया	25001	1865	18650000
	10	बेगुसराय	26001	2475	24750000
भागलपुर	11	भागलपुर	31001	2226	22260000
	12	बाँका	32001	875	8750000
कोशी	13	सहरसा	41001	664	6640000
	14	सुपौल	42001	910	9100000
	15	मधेपुरा	43001	1197	11970000
तिरहुत	16	मुजफ्फरपुर	51001	1197	11970000
	17	सीतामढ़ी	52001	560	5600000
	18	वैशाली	53001	1031	10310000
	19	प0 चम्पारण	54001	1801	18010000
	20	पू0 चम्पारण	55001	1407	14070000
	21	शिवहर	56001	118	1180000
दरभंगा	22	दरभंगा	61001	1179	11790000
	23	मधुबनी	62001	1724	17240000
	24	समस्तीपुर	63001	1780	17800000
पटना	25	पटना	71001	2191	21910000
	26	नालंदा	72001	2182	21820000
	27	भोजपुर	73001	1391	13910000
	28	रोहतास	74001	1502	15020000
	29	बक्सर	75001	350	3500000
	30	भभुआ	76001	535	5350000
मगध	31	गया	81001	1965	19650000
	32	नवादा	82001	1118	11180000
	33	औरंगाबाद	83001	1513	15130000
	34	जहानाबाद	84001	469	4690000
	35	अरवल	85001	534	5340000
सारण	36	सारण	91001	1388	13880000
	37	सीवान	92001	799	7990000
	38	गोपालगंज	93001	822	8220000
		कुल योग		44288	**442880000**

(रू0 चौवालीस करोड़ अट्ठाईस लाख अस्सी हजार)मात्र

25.2.17

सरकार के सचिव।

पत्रांक– 07 दिनांक– 25/02/17 का अनु0